P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में मानवाधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था एवं मानवाधिकार आयोग

सत्येन्द्र सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति शास्त्र विभाग,
श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय,
झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सन्देश दिया था। क्रांति के उपरान्त राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा की शुरूआत की। अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम दस संविधान संशोधनों द्वारा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। 24 अक्टूबर, 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया तथा इस घोषणा पत्र के माध्यम से विभिन्न मानवीय अधिकारों को वैधानिक रूप प्रदान किया। 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया है।

मानवाधिकारों का मूल सोलहवीं शताब्दी के सामाजिक समझौता सिद्धान्त में निहित है जिसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त हैं। 15 अगस्त, 1947 को भारत एक लम्बी औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुआ। भारत ने अपने संविधान में मानवाधिकार से सम्बन्धित कानूनों को सम्मिलित किया। मानवाधिकार कानूनों को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा महिलाओं, बच्चों, समाज के पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों आदि के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों का निर्धारण किया गया है।

1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण तथा प्रोत्साहन किया जा सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। राज्यों में भी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के प्रावधान किये गए है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, मौलिक अधिकार, न्याय, विधि के समक्ष समानता।

प्रस्तावना

मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ विवेकपूर्ण रचना है। मनुष्य संवेदनशील, चिन्तनशील प्राणी है तथा सभी गतिविधियों का केन्द्र मनुष्य ही है ज्ञान की सभी विचारधाराएँ मानव जीवन को बेहतरीन बनाने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहती हैं अतः मनुष्य को जीवन जीने के लिए मानव अधिकार मिलने चाहिए। रूसो के अनुसार– "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परन्तु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।" इन जकड़नों को तोड़ने के लिए राजनीतिक चिन्तकों ने अधिकारों एवं मानवाधिकारों पर बल दिया। लॉस्की ने अपनी पुस्तक 'ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स' में कहा था– "अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता।" अधिकारों को यदि व्यापक और गहन स्वरूप प्रदान कर दिया जाये वे मानवाधिकार कहलाते हैं। जब तक समाज में भेदभाव एवं उत्पीड़न है तब तक मानवाधिकारों पर जोर दिया जाना आवश्यक है। मानवाधिकार मानवीय गरिमा से सम्बद्ध हैं तथा ये मनुष्य को मानव के रूप में जन्म लेने के कारण स्वतः प्राप्त हैं। जाति, लिंग, भाषा, रंग, राष्ट्रीयता, वर्ग, विचारधारा के आधार पर मानवाधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 तथा 2 में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार सभी मनुष्य समान अधिकार और स्वतंत्रता लेकर जन्म लेते हैं और उन्हें वैश्विक घोषणा में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रता जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा,

राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थितियों के किसी भेदभाव के बिना स्वतः मिल जाते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मानवाधिकारों कानून के संरक्षण के प्रावधान किए। भारत में मानवाधिकार कानून सम्बन्धी प्रावधानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है संवैधानिक तथा वैधानिक। मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व आदि के अन्तर्गत वर्णन किया गया है। मानवाधिकार पर वैधानिक कानून समाज के वंचित वर्गों जैसे दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, पिछड़े वर्ग आदि के लिए विभिन्न नियमों का निर्धारण किया गया है। मानवाधिकार संरक्षरण अधिनियम 1993, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है जिसके द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के विभिन्न कानूनी प्रावधान लागू किए गये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. इस शोध–पत्र का उद्देश्य वर्तमान समय में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत की संवैधानिक तथा संविधानेत्तर व्यवस्था के सैद्धान्तिक पक्षों का अध्ययन करना।
2. मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के सन्दर्भ में आने वाली चुनौतियां तथा इनके निराकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्यों एवं भूमिका की विवेचना करना।
4. वर्तमान परिस्थितियों में नागरिकों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक एवं संविधानेत्तर व्यवस्था में आवश्यक बदलावों को इंगित करना।
5. मानवाधिकारों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रयास करना।

भारतीय संविधान में मानव अधिकार कानून

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के संविधानों के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए' भारतीय राजनीति की प्रकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, भाईचारा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करना' का तात्पर्य है कि भारत के लोगों के मानवाधिकार के मौलिक तत्वों को दर्शाना।

भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो कि मानवाधिकारों का आधार है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किन्तु चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है अब सम्पत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या छः हो गई है। ये मूल अधिकार निम्नलिखित है :–

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

समानता का अधिकार

1. विधि के समक्ष समता[1] (अनुच्छेद–14)
2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध[2] (अनुच्छेद–15)
3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता[3] (अनुच्छेद–16)
4. अस्पृश्यता का अन्त[4] (अनुच्छेद–17)
5. उपाधियों का अन्त[5] (अनुच्छेद–18)

स्वतंत्रता का अधिकार

1. वाक–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण[6] (अनुच्छेद–19)
2. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण[7] (अनुच्छेद–20)
3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण[8] (अनुच्छेद–21)
4. शिक्षा का अधिकार[9] (अनुच्छेद–21क)
5. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण[10] (अनुच्छेद–22)

शोषण के विरूद्ध अधिकार

1. मानव के दुर्व्यापार और और बलात् श्रम का प्रतिषेध[11] (अनुच्छेद–23)
2. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध[12] (अनुच्छेद–24)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

1. अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता[13] (अनुच्छेद–25)
2. धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतंत्रता[14] (अनुच्छेद–26)
3. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारें में स्वतंत्रता[15] (अनुच्छेद–27)
4. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारें में स्वतंत्रता[16] (अनुच्छेद–28)

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

1. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण[17] (अनुच्छेद–29)
2. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार[18] (अनुच्छेद–30)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार –

1. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार[19] (अनुच्छेद–32)

मौलिक अधिकारों में वे अधिकार शामिल नहीं किये गये जो मानवीय जीवन के अस्तित्व व आत्म सम्मान के लिए आवश्यक हैं जैस– काम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ–साथ मर्यादाओं तथा सीमाओं सम्बंधी उपबंध इतने अधिक हैं कि वास्तविक अधिकार शून्य से लगने लगते हैं। मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित किए जा सकते है यह तो न्यायोचित लगता है, परन्तु शांतिकाल में भी उनके स्थगन का प्रावधान मूल अधिकारों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिह्न लगा देता है। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध है चाहे वे नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। प्रतिबन्धों की व्यवस्था संविधान द्वारा देश द्रोहियों व समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिए दण्डित करने के लिए की गई है। परन्तु व्यावहारिक रूप में इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए किया गया है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ हैं इनके बिना व्यक्ति का मानसिक, भावात्मक, रचनात्मक, भौतिक एवं नैतिक विकास सम्भव नहीं है। इनका राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है, इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

संविधान के भाग चार में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्यों के लिए जन कल्याण हेतु नीति निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के रूप में दिए गए हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नीति निर्देशक तत्व मानवाधिकार से संबंधित हैं जो निम्नानुसार हैं :–

1. पुरूष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार[20] (अनुच्छेद 39क)
2. पुरूष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हा[21] (अनु. 39ड़)
3. बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए[22] (अनु. 39च)
4. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता[23] (अनु. 39क)
5. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार[24] (अनुच्छेद 41)
6. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार[25] (अनुच्छेद 42)
7. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि[26] (अनुच्छेद 43)
8. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता[27] (अनुच्छेद 44)
9. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा का उपबंध[28] (अनुच्छेद 45)
10. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य[29] (अनुच्छेद 47)

राज्य के ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं, पथ–प्रदर्शक हैं तथा वे ऊँचे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए देश को सतत् प्रयत्न करना चाहिए। नीति–निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को सामने रखते हुए नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का आधार वैधानिक नहीं है। नीति–निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

भारत में मानवाधिकार कानून

मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित विषय को सम्मिलित करने हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। 2006 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत मानवाधिकार को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई।

गठन

मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। आयोग निम्नलिखित प्रकार से बनेगा[30]

1. एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है।
2. एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।
3. एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
4. दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जायेंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्य सदस्यों में तीन आयोगों के अध्यक्ष क्रमशः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दों के मामले में आयोग के कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। आयोग का एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव एक समिति करेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे तथा इसके सदस्य केन्द्रीय गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति तथा संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होंगे। समिति की सिफारिश के आधार पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में

नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। आयोग के सदस्यों को पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया अपनायी गई है। सामान्यतः आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आदेश निकाले जाने के बाद हटाये जा सकते हैं। मगर राष्ट्रपति ऐसा आदेश उस सदस्य के अभद्र व्यवहार तथा अयोग्यता के आधार पर निकालेगा जिसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हो चुकी हो।

आयोग के कार्य एवं शक्तियां

आयोग के अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

1. अपनी पहल पर या प्रभावित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई याचिका प्राप्त होने पर –

(अ) मानवाधिकारों के उल्लंघन या उनके उल्लघंन के उकसावे या

(ब) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने के सम्बन्ध में बरती गई लापरवाही की शिकायतों की जांच करना।

2. किसी न्यायालय में चल रही ऐसी किसी कार्यवाही में जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी आरोप का सम्बन्ध है, उस न्यायालय की सहमति से हस्तक्षेप करना।
3. राज्य सरकार के नियंत्रण में विद्यमान चाहे जिस जेल या अन्य संस्था में लोगों को इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए नजरबंद रखा जा रहा हो उसका संबंधित राज्य सरकार को सूचित करके, इस उद्देश्य से निरीक्षण करना कि आयोग उसमें रहने वाले लोगों की रहन–सहन की दशा का अध्ययन कर सके और उसके सम्बन्ध में सिफारिश कर सके।
4. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में या संविधान के अधीन अथवा फिलहाल लागू किसी कानून के द्वारा किए गये पूर्वोपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों की समीक्षा करना।
5. उन कारकों की जिनमें आतंकवादी कार्य भी शामिल हैं, समीक्षा करना जो मानवाधिकरों के उपभोग के मार्ग में बाधक हैं और उनके निवारण के उपयुक्त उपाय सुझाना।
6. मानवाधिकारों से संबंधित सन्धियों और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
7. मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और ऐसे शोध का अभिवर्धन करना।
8. प्रकाशनों, प्रचार माध्यमों, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध उपायों से समाज के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों से संबंधित ज्ञान का प्रसार करना और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध उपायों के बारें में जागरूकता का अभिवर्धन करना।
9. मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना
10. मानवाधिकार के अभिवर्धन के लिए और जो भी कार्य करना जरूरी समझे उन सबको करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है। वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। आयोग केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग जांच के दौरान या उपरान्त निम्नलिखित में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है–

1. यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
2. यह दोष लोक सेवक के विरूद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
3. यह सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
4. आयोग इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है।

प्रतिवेदन

आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रतिवेदन किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रतिवेदन सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही वे विवरण भी होते हैं जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का उल्लेख तथा ऐसी किसी सिफारिश को न मानने के कारणों का उल्लेख होता है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं अभिवर्धन के लिए प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है पीड़ितों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ–साथ आयोग ने देश के किसी भी हिस्से में मानवाधिकार के हनन के मामलों को स्वतः संज्ञान कर उसका निराकरण किया है। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शैक्षिक एवं निजी संगठनों के अलावा आयोग ने सामाजिक संगठनों को भी सहायता के लिए बढ़–चढ़ कर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बालश्रम, वेश्यावृत्ति, जेल सुधार आदि समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। कई मुद्दों पर आयोग ने महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण किया है और संबंधित एजेंसियों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं। पुलिस बल का दुरूपयोग विशेषकर

मनमानी गिरफ्तारी के विरूद्ध प्रावधान, राज्य और शहरों के पुलिस मुख्यालय में मानवाधिकार इकाई की स्थापना, जेल सुधार, बालश्रम उन्मूलन, अनिवार्य शिक्षा, जातिगत एवं साम्प्रदायिक हिंसा, निशक्तः लोगों के अधिकार, मानसिक रोगियों के मानवाधिकार, चिकित्सालयों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, नागरिकों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं विधानों की समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की अनुपालना आदि आयोग द्वारा बनाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता, जैसे– आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिशें सम्बंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिक सफल व सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है कि आयोग को पर्याप्त अधिकार दिए जाए ताकि वह न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। वित्तीय स्वायत्तता के बिना अधिकार खोखले होंगे। अतः आयोग को पर्याप्त वित्तीय सक्षमता दिया जाना आवश्यक है।

अंत टिप्पणी

1. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
2. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
3. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
4. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
5. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
6. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
7. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
8. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
9. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
10. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
11. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
12. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
13. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
14. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
15. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
16. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
17. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
18. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
19. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
20. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
21. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
22. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
23. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
24. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
25. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
26. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
27. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*

28. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
29. *भारत का संविधान – 2011 पृ.सं. 6 से 21 – भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली।*
30. *मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।*

संदर्भ ग्रंथ सूची

आशा कौशिक, मानवाधिकार और राज्य : बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर।
अर्जुनदेव, मानव अधिकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
अरूण चतुर्वेदी एवं संजय लोढ़ा, भारत में मानव अधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
आर.पी. पायल, मानव अधिकारों की सुरक्षा, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
बसु डी.डी. ह्यूमन राईट्स इन कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
डॉ. एच.ओ. अग्रवाल, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
डी.आर. कार्तिकेयन, ह्यूमन राईट्स : प्रॉब्लमज एण्ड सोल्यूशन्स, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
डी.पी. खन्ना, रिफोर्मिंग ह्यूमन राईट्स, मानस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।